न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 442 / 2024

अनवान : –

1– हरबंश सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

2– जगजीत सिंह पुत्र पहाड़ सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

3– परसन सिंह पुत्र पहाड़ सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

4– जसवीर सिंह (चहल) पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

5– गोविन्द सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

—— **वादीगण**

बनाम

1– सुरजीत कौर पत्नी कौरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

2– सुखपाल सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

3– जसविन्द्र कौर पत्नी अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

4– मनोहर सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

5– वीरपाल कौर पुत्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

6– चरणजीत कौर पुत्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

7– महेन्द्र पुत्र दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

8– रंजीत सिंह पुत्र महेन्द्र जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

9– रशपाल सिंह पुत्र महेन्द्र जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

10– हरनेक सिंह पुत्र महेन्द्र जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

11– मनप्रीतसिंह चहल पुत्र महेन्द्र जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

12– बलविन्द्र कौर पुत्री महेन्द्र जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

13– अमनदीप कौर पुत्री महेन्द्र जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

14– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

–– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 17/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 44/44 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.9530 है0 भूमि व खाता संख्या 45/45 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि व खाता संख्या 157/157 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि व खाता संख्या 146/146 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 2.2020 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 44/44 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.9530 है0 भूमि में से वादी सख्या 5, प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 1, 2 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा एवं 4 बीकेके के खाता संख्या 45/45 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 2, 3 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा एवं 4 बीकेके के खाता संख्या 157/157 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं 4 बीकेके के खाता संख्या 146/146 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 2.2020 है0 भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 प्रत्येक का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादीया संख्या 3 जो कि वा[illegible] 5 की माता है व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 जो कि वादी संख्या 5 के भा[illegible] कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के [illegible]जिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्र/भाई (वादी संख्या 5) के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 2 की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी संख्या 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र/भाई (वादी संख्या 2) के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 7 जो कि वादी संख्या 4 का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 जो कि वादी संख्या 4 के भाई बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र/भाई (वादी संख्या 4) के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 44/44 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.9530 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 5 काबिज है तथा 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 1 काबिज है एवं 4 बीकेके के खाता संख्या 45/45 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 5 काबिज है तथा 1/4 हिस्सा पर वादी संख्या 1 काबिज है एवं 4 बीकेके के खाता संख्या 146/146 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 2.202 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि पर वादी सख्या 1 काबिज है तथा 1/3 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 5 काबिज है एवं 1/3 हिस्सा भूमि पर वादी संख्या 4 काबिज है तथा रोही मौजा 4 बीकेके के खाता संख्या 157/157 के कुल खसरे 2 की कुल 0.5060 है0 भूमि मे से 1/2 हिस्सा पर वादी संख्या 1 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्या जमाबंदी रोही मौजा 4 बीकेके सम्वत 2077–2080 खाता स0 44, 45, 146, 157 पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की इकबाल [illegible] के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ [illegible] प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादीया संख्या 3 जो कि वादी संख्या 5 की माता है व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 जो कि वादी संख्या 5 के भाई बहिन है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्र/भाई (वादी संख्या 5) के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी संख्या 2 की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी संख्या 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र/भाई (वादी संख्या 2) के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 7 जो कि वादी संख्या 4 का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 जो कि वादी संख्या 4 के भाई बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र/भाई (वादी संख्या 4) के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 44/44 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.9530 है0 भूमि व खाता संख्या 45/45 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि व खाता संख्या 157/157 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि व खाता संख्या 146/146 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 2.2020 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 44/44 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.9530 है0 भूमि में से वादी सख्या 5, प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 1; 2 प्रत्येक का 1/8 हिस्सा एवं 4 बीकेके के खाता संख्या 45/45 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, वादी संख्या 2, 3 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा एवं 4 बीकेके के खाता संख्या 157/157 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.5060 है0 भूमि में वादी संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा एवं 4 बीकेके के खाता संख्या 146/146 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 2.2020 है0 भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 प्रत्येक का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी का कथन है कि वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादीया संख्या 3 जो कि वादी संख्या 5 की माता है व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 जो कि वादी संख्या 5 के भाई बहिन है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पुत्र/भाई (वादी संख्या 5) के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी संख्या 2 की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वादी संख्या 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र/भाई (वादी संख्या 2) के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 7 जो कि वादी संख्या 4 का पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 8 ता 13 जो कि वादी संख्या 4 के भाई बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्र/भाई (वादी संख्या 4) के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बीकेके तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 44/44 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.9530 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 क्रमशः जसविन्द्र कौर पत्नी तारसिंह, मनमोहन सिंह, वीरपाल कौर, चरणजीत कौर पि0 तारसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि वादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 सुखसिंह पुत्र कवरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 4 बीकेके के खाता संख्या 45/45 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 क्रमशः जसविन्द्र कौर पत्नी तारसिंह, मनमोहन सिंह, वीरपाल कौर, चरणजीत कौर पि0 तारसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 सुखदेव सिंह पुत्र कौरसिंह का नाम कलमजन किया [illegible]4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया [illegible] खाता संख्या 146/146 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 2.202 है0 भूमि में से [illegible]वादी संख्या 1 ता 2 क्रमशः सुखपाल सिह पुत्र कौरसिंह, सुरजीत कौर पत्नी कौरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

का वादी सख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 क्रमशः जसविन्द्र कौर पत्नी अवतारसिंह, मनमोहन सिंह, वीरपाल कौर, चरणजीत कौर पि0 अवतारसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 7 महेन्द्र पुत्र दयालसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 4 बीकेके के खाता संख्या 157/157 के कुल खसरे 2 की कुल 0.5060 है0 भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 2 सुखसिंह पुत्र कोरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड रोही मौजा 4 बीकेके के खाता संख्या 44/44, 45/45, में वादी संख्या 5 की वल्दीयत तारसिंह की बजाये अवतारसिंह का संशोधन किया जाता है एवं 4 बीकेके के खाता संख्या 44/44 वादी संख्या 1 का नाम हरबंश सिंह पुत्र कवरसिंह की बजाये हरबंश सिंह पुत्र कौरसिंह का संशोधन किया जाता है एवं वादी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 44/44, 45/45 में जंगीर सिंह दर्ज है व खाता संख्या 157/157 वादी संख्या 2 का नाम जंगसिंह दर्ज है की बजाये जगजीत सिंह पुत्र पहाड़ सिंह का संशोधन किया जाता है एवं खाता संख्या 45/48 में वादी संख्या 3 का नाम पर्सनसिंह दर्ज है की बजाये परसन सिंह पुत्र पहाड़ सिंह का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 442 / 2024

अनवान : –

1– हरबंश सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

2– जगजीत सिंह पुत्र पहाड़ सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिंह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

3– परसन सिंह पुत्र पहाड़ सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिंह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

4– जसवीर सिंह (चहल) पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिंह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

5– गोविन्द सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

—— वादीगण

बनाम

1– सुरजीत कौर पत्नी कौरसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

2– सुखपाल सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिंह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

3– जसविन्द्र कौर पत्नी अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिंह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

4– मनोहर सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिंह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

5– वीरपाल कौर पुत्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिंह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

6– चरणजीत कौर पुत्री अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिंह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

7– महेन्द्र पुत्र दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिंह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

8– रंजीत सिंह पुत्र महेन्द्र जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

9– रशपाल सिंह पुत्र महेन्द्र जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

10– हरनेक सिंह पुत्र महेन्द्र जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

11– मनप्रीतसिंह चहल पुत्र महेन्द्र जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिंह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

12– बलविन्द्र कौर पुत्री महेन्द्र जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

13– अमनदीप कौर पुत्री महेन्द्र जाति जटसिख निवासी बुर्ज जवाहरसिंह वाला तहसील जैतो जिला फरीदकोट (पंजाब) ।

14– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

—— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 442 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेशकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 बीकेके

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 44/44 के कुल खसरे 27 की कुल तादादी 5.9530 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 क्रमशः जसविन्द्र कौर पत्नी तारसिंह, मनमोहन सिंह, वीरपाल कौर, चरणजीत कौर पि0 तारसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि वादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 सुखसिंह पुत्र कवरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 4 बीकेके के खाता संख्या 45/45 के कुल खसरे 1 का कुल क्षेत्रफल 0.2530 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 क्रमशः जसविन्द्र कौर पत्नी तारसिंह, मनमोहन सिंह, वीरपाल कौर, चरणजीत कौर पि0 तारसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 सुखदेव सिंह पुत्र कौरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/4 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 4 बीकेके के खाता संख्या 146/146 के कुल खसरे 16 की कुल तादादी 2.202 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 क्रमशः सुखपाल सिह पुत्र कौरसिंह, सुरजीत कौर पत्नी कौरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादी सख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 क्रमशः जसविन्द्र कौर पत्नी अवतारसिंह, मनमोहन सिंह, वीरपाल कौर, चरणजीत कौर पि0 अवतारसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि में वादी संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 7 महेन्द्र पुत्र दयालसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/3 हिस्सा भूमि का वादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 4 बीकेके के खाता संख्या 157/157 के कुल खसरे 2 की कुल 0.5060 है0 भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 2 सुखसिंह पुत्र कोरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड रोही मौजा 4 बीकेके के खाता संख्या 44/44, 45/45, में वादी संख्या 5 की वल्दीयत तारसिंह की बजाये अवतारसिंह का संशोधन किया जाता है एवं 4 बीकेके के खाता संख्या 44/44 वादी संख्या 1 का नाम हरबंश सिंह पुत्र कवरसिंह की बजाये हरबंश सिंह पुत्र कौरसिंह का संशोधन किया जाता है एवं वादी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड खाता संख्या 44/44, 45/45 में जंगीर सिंह दर्ज है व खाता संख्या 157/157 वादी संख्या 2 का नाम जंगसिंह दर्ज है की बजाये जगजीत सिंह पुत्र पहाड़ सिंह का संशोधन किया जाता है एवं खाता संख्या 45/48 में वादी संख्या 3 का नाम पर्सनसिंह दर्ज है की बजाये परसन सिंह पुत्र पहाड़ सिंह का संशोधन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/9/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.24 17:37:10 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर